

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या: 2792/77-6-18-एल.सी.03/18
लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2018

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018" प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018, अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या: 2792(1)/77-6-18-एल.सी.03/2018 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड फत्रावली।

आज्ञा से,
(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018

1. प्रस्तावना

गत तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) में सकल घरेलू उत्पाद में निरन्तर 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व में अग्रणी स्थान बना रखा है। वृहद् जनसांख्यिकीय लाभ से पोषित भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिमान अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र इस आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है, जो भारत को विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

राजस्व के सन्दर्भ में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र का वैश्विक बाजार रु. 64 लाख करोड़ का होने का अनुमान है (2016), जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। विश्व में भारतीय थल सेना, तीसरी सबसे बड़ी थल-सेना है, जबकि वायु-सेना चौथे एवं नौसेना सातवें स्थान पर है। भारत विश्व में रक्षा उत्पादों का पांचवाँ सबसे बड़ा क्रेता (SIPRI 2017- Stockholm International Peace Research Institute) होने के कारण रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण बाजार है।

तलिका 1 - भारत का रक्षा व्यय	
वर्ष	व्यय(रुपये करोड़ में)
2012-13	181805
2013-14	203515
2014-15	222365
2015-16	246740
2016-17	249080
2017-18 (बजट प्राक्कलन)	347750
स्रोत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं आई.डी.एस.ए. (1 यूएसडी=रु.65)	

भारत के रक्षा बाजार में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय हेतु रु. 3.6 लाख करोड़ का आवंटन किया है जो वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के मध्य रक्षा बजट में 5 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2017-18 के रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय का अंश लगभग 33 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि भारत की रक्षा- उत्पाद आवश्यकताओं की अधिकांश पूर्ति आयात पर निर्भर है, अतः इस क्षेत्र में आयात के प्रतिस्थापन की वृहद सम्भावना है। वर्तमान पूंजीगत क्रय आवश्यकताओं के आधार पर ऐसी सम्भावना है कि भारतीय रक्षा ऑफ-सेट बाजार में आगामी कुछ वर्षों में गुणोत्तर वृद्धि हो सकती है।

इस अवसर का लाभ उठाने हेतु भारत सरकार द्वारा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure) 2016 निर्गत की गयी है, जिसमें सुरक्षा (Security) में स्वावलम्बन प्राप्त करने के सन्दर्भ में दो मौलिक नीतियों, यथा- 'स्वदेशीकरण' एवं 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन' पर बल दिया गया है।

स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक नई श्रेणी- 'भारतीय आई.डी.डी.एम. क्रय'(Buy Indian IDDM) ('इण्डियन डिज़ाइण्ड डेवलपड एण्ड मैनुफैक्चर्ड'-आई.डी.डी.एम.) को अधिकतम वरीय मार्ग (Preferred route) के रूप में सम्मिलित किया गया है। रक्षा परियोजनाओं के विकास के लिए उद्योग वित्त-पोषण को सक्षम करने हेतु मेक-II(Make-II) का एक अन्य प्राविधान भी सम्मिलित किया गया है।

मेक-I और मेक-II परियोजनाएं क्रमशः रु. 10 करोड़ तथा रु. 3 करोड़ के पूंजीगत उद्व्यय (Capital Outlay) के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षित हैं। एक अन्य पहल में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2016 के अन्तर्गत रक्षा ऑफ-सेट नीति में ऑफ-सेट की अर्हता की प्रारम्भिक सीमा (Threshold) को रु. 300 करोड़ से बढ़ा कर रु. 2000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे विदेशी मौलिक उपकरण निर्माताओं की बाधाओं का निराकरण हो सके तथा ऑफ-सेट रूट के माध्यम से उच्च तकनीक को प्राप्त करने हेतु रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित किया जा सके।

रक्षा क्षेत्र में सरकार के माध्यम से 100 प्रतिशतप्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा 49 प्रतिशतप्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वतः मार्ग (Automatic route)से अनुमन्य होने के पश्चात् पूरे विश्व का ध्यान इस ओर गया है। हाल के वर्षों में भारत से रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। रक्षा-उत्पाद निर्यात की दृष्टि से रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों(DPSUs) आयुध फैक्ट्रियों तथा (अनापत्ति निर्गत होने के आधार पर) निजी क्षेत्र से वर्ष 2012-13 में रु. 461 करोड़ का निर्यात बढ़ कर वर्ष 2016-17 में रु. 1105 करोड़ (अनंतिम) हो गया।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण पर केन्द्रित नीतियों के फलस्वरूप आशातीत परिणाम मिल रहे हैं, रक्षा मंत्रालय ने गत 2 वर्षों में भारत में निर्मित कई रक्षा उत्पादों का अनावरण किया है। भारत में इस क्षेत्र में लाइसेन्स प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए उसे और पारदर्शी बनाया गया है। इसलिए कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक स्वीकृतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2001 से 2014 के मध्य की 13 वर्षों की अवधि में कुल 214 लाइसेन्सों की तुलना में वर्ष 2014 से 2016 के मध्य कुल 119 लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा रक्षा विनिर्माण हेतु क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों (Defence Industrial Production Corridors) की घोषणा की गई है। भारत सरकार के 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति-2017 एवं औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 घोषित की गयी है, जिससे राज्य में इस क्षेत्र में मांग तथा निवेश में वृद्धि सम्भावित है।

राज्य सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सयंत्रों, उपकरणों व सह-उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनुकूल पारिस्थिकी तंत्र के सृजन हेतु कृत संकल्प है।

2. उत्तर प्रदेश-लाभ की स्थिति

उत्तर प्रदेश, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। देश की 16.5 प्रतिशत जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, भारत के शीर्ष के पाँच विनिर्माण राज्यों में से एक है तथा भारत में

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। विगत पाँच वर्षों (2012-17) में राज्य से निर्यात 13.26 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. (Compound Annual Growth Rate) दर्ज किया गया है।

2.1 उच्च-स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं

रणनीतिक रूप से स्वर्णिम चतुष्कोण (Golden Quadrilateral) पर स्थित, प्रदेश देश के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। राज्य में 8,949 किलोमीटर में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। गाजियाबाद में दादरी से मुम्बई के जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह तक विकसित हो रहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर-डब्ल्यू.डी.एफ.सी. (Western Dedicated Freight Corridor-WDFC) से बन्दरगाह तक परिवहन-समय में कमी होगी, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधि को गति मिलेगी।

इसी प्रकार, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर-ई.डी.एफ.सी. (Eastern Dedicated Freight Corridor-EDFC) परियोजना का 57 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जो पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है। इन दोनों फ्रेट कॉरीडोरों का जंक्शन दादरी, गाजियाबाद में होने के कारण लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग क्षेत्र में प्रदेश अत्यंत लाभ की स्थिति में है। ई.डी.एफ.सी. तथा डब्ल्यू.डी.एफ.सी. के समानान्तर विकसित हो रहे दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) तथा अमृतसर-कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (ए.के.आई.सी.) से आच्छादित क्षेत्र का बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है। डब्ल्यू.डी.एफ.सी. एवं ई.डी.एफ.सी. परियोजनाओं का प्रदेश के हित में अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु राज्य सरकार इन कॉरीडोरों से सटे नगरों, यथा- ग्रेटर नोएडा, इलाहाबाद, व कानपुर आदि में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स तथा इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप्स के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

उत्तर प्रदेश में विद्यमान लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं में, मुरादाबाद में रेल से जुड़े संयुक्त घरेलू एवं एक्विजम (निर्यात-आयात) टर्मिनल, कानपुर में रेल से जुड़े प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल एवं अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो-आई.सी.डी. (Inland Container Depot - ICD) तथा दादरी टर्मिनल स्थित आई.सी.डी. व कानपुर आई.सी.डी. सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नोएडा, बोझाकी तथा वाराणसी में भी तीन मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स/ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित हैं। कानपुर, नोएडा, वाराणसी व गाजियाबाद जैसे प्रमुख निवेश केन्द्रों के अतिरिक्त दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, मेरठ-मुज़फ्फरनगर निवेश क्षेत्र, दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)-वाराणसी-मिर्जापुर जैसे नवीन निवेश क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं।

प्रदेश के कनेक्टिविटी नेटवर्क में पूर्व से विकसित एवं विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे, यथा- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे आदि; 4 लेन तथा 6 लेन के राजकीय राजमार्ग; राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे; इलाहाबाद, वाराणसी तथा हल्दिया बन्दरगाह

को जोड़ने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW 1)के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार वायु, जल एवं रेल कनेक्टिविटी सुविधाओं के नेटवर्क का सृजन करेगी, जिससे राज्य की औद्योगिक एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को परिवहन के विभिन्न माध्यमों से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने हेतु उत्कृष्ट व सुचारु सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। लखनऊ, कानपुर, मेरठ तथा वाराणसी में स्थापित होने वाली मल्टी-सिटी मेट्रो रेल परियोजनाएं तथा जेवर एवं कुशीनगर में विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों के कारण प्रदेश के कनेक्टिविटी तंत्र के लाभ की स्थिति के और अधिक सुदृढ़ होने की सम्भावना है।

2.2 रक्षा औद्योगिक गलियारा/डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (Defence Industrial Corridor)

माह फरवरी 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेन्स कॉरीडोर के विकास की घोषणा की गई थी। अनुमान है कि इस कॉरीडोर के निर्माण से एक लाख से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होगा। प्रस्तावित गलियारे में 6 नोड, यथा- अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ होंगे। प्रस्तावित गलियारे हेतु राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 3,000 हेक्टेअर भूमि अधिसूचित की जाएगी।

इन जिलों में डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा कच्चे माल, श्रम आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ सहायक आधार विद्यमान है। डी.एम.आई.सी. तथा ए.के.आई.सी. के निकट होने के कारण कॉरीडोर विशेष लाभ की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से कॉरीडोर को कनेक्टिविटी का लाभ उपलब्ध होगा।

2.3 विद्यमान विनिर्माण आधार

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अनेक इकाइयां हैं जो रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण करती हैं। स्थानीय स्रोतों से सामग्री एवं आवश्यक पुर्जों की अधिप्राप्ति (Procurement)करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां राज्य के सुदृढ़ स्थानीय बाजार का प्रमुख आधार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों में 9 भारतीय आयुध कारखाने तथा 3 हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं।

तालिका-2: उत्तर प्रदेश में स्थित आयुध कारखाने	
मुरादनगर, गाजियाबाद स्थित आयुध कारखाना	सादा कार्बन (Plain carbon)तथा टैंक, गोला-बारूद(Ammunition), स्टील फोर्जिंग हेतु मिश्रित धातु स्टील कास्टिंग
कानपुर स्थित आयुध कारखाना	मध्यम एवं उच्च क्षमता वाली बन्दूकें, खाली खोल(Shell empties)
कानपुर स्थित लघु शस्त्र कारखाना	लघु शस्त्र(Small arms)
कानपुर स्थित फील्ड गन फैक्ट्री	उच्च क्षमता(Calibre) के आयुध एवं स्पेयर

	बैरल, .32" रिवॉल्वर
कानपुर स्थित आयुध उपकरण फैक्ट्री	चमड़ा उत्पादों, कपड़ा उत्पादों, पर्वतारोहण उपकरण सहित इंजीनियरिंग उपकरण
कानपुर स्थित आयुध पैराशूट फैक्ट्री	विभिन्न प्रकार के पैराशूट
शाहजहाँपुर स्थित आयुध कपड़ा फैक्ट्री	युद्ध हेतु कपड़े तथा कपड़ा एवं टेण्ट आइटम्स
हज़रतपुर-टुण्डला स्थित आयुध उपकरण फैक्ट्री	टेण्ट एवं अन्य वस्त्र निर्मित आइटम्स
कोरवाँ स्थित आयुध फैक्ट्री	कार्बाइन के उत्पादन हेतु (परियोजना स्तर पर)

तालिका-3: उत्तर प्रदेश में स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. की प्रमुख विनिर्माण इकाइयाँ	
कानपुर स्थित एच.ए.एल. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न	घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों हेतु हल्के परिवहन विमान तथा ट्रेनर विमान के निर्माण, रख-रखाव, अनुरक्षण, उच्चिकरण में मूलभूत (Core)क्षमता। यह डिवीज़न विमान के रख-रखाव, अनुरक्षण तथा ओवरहॉल(Overhaul)भी करता है। यह मानव रहित वायु वाहन (Unmanned Arial Vehicles-UAVs)के इंजनों तथा हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विसिंग करता है।
लखनऊ स्थित एच.ए.एल. सहायक डिवीज़न	हाइड्रोलिक्स, इंजन ईंधन, एयर कंडीशनिंग एवं प्रेशराइजेशन, फ्लाइट कंट्रोल, व्हील एवं ब्रेक, जाइरो(Gyro)एवं बैरोमेट्रिक इंस्ट्रुमेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर जेनरेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, अंडरकैरियेजेस (Undercarriages), ऑक्सीजन एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ईंधन कंटेनर गेज इत्यादि का विनिर्माण।
कोरवाँ स्थित एच.ए.एल. एविऑनिक्स डिवीज़न	मिग-27एम अपग्रेड, मिराज-2000, एलसीए(LCA), जगुआर अपग्रेड, एजेटी-हॉक एयरक्राफ्ट पर लगाए गये विभिन्न एविऑनिक्स प्रणालियों के लिए विनिर्माण तथा अनुरक्षण की सुविधा

उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी कई इकाइयाँ राज्य में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में टेकनिकल टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पादों व पुर्जों आदि के विनिर्माण में संलग्न हैं।

2.4 अनुसंधान एवं विकास (Research & Development – R & D) पारिस्थिकी तंत्र

उत्तर प्रदेश में विविध शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो अनुसंधान एवं विकासमें संलग्न हैं। राज्य में 53 विश्वविद्यालय, 4,345 कॉलेज, 168 पॉलिटेक्निक्स हैं, जिनमें अनेक शोध संस्थान, उत्कृष्टता केन्द्र(Centres of Excellence) एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान हैं। राज्य आईआईटी कानपुर, बीएचयू आईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों का गढ़ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)के मैटिरियल्स एण्ड स्टोर आर एण्ड डी इस्टैब्लिशमेंट (DMSRDE), तथा एच.ए.एल. इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र हेतु उत्तम अनुसंधान एवं विकास पारिस्थिकी तंत्र उपलब्ध कराते हैं।

एच.ए.एल. के अन्तर्गत लखनऊ में स्थित एयरोस्पेस सिस्टम एण्ड इक्यूमेंट आर एण्ड डी सेंटर (ASERDC) है, जो स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विमान, हेलीकॉप्टर तथा

इंजन के लिए आवश्यक सभी प्रमुख प्रणालियों और उपकरणों हेतु व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research), डिजाइन एवं विकास में कार्यरत है। कोरवा स्थित एच.ए.एल. के अन्तर्गत एयरोस्पेस सिस्टम एण्ड इक्यूप्मेंट आर एण्ड डी सेंटर (ASERDC) में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स तथा अन्य एवियोनिक एलआरयूज़ (Avionic LRUs) का विकास किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ एवं आगरा में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ स्थित हैं, जिनके अन्तर्गत 7 प्रभागों (Divisions) के माध्यम से यू.पी. पुलिस को आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से सहायता प्रदान की जा रही है।

2.5 उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर

उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है-

- डिफेन्स पार्क-कानपुर तथा अन्य जिलों, जैसे-झाँसी, आगरा, लखनऊ आदि में
- रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs) का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता
- एयरोस्पेस पार्क-लखनऊ तथा अन्य जिलों, जैसे-कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर आदि में
- परीक्षण सुविधाओं (Testing Facilities) का विकास- तोपखाने (Artillery) तथा अन्य सैन्य शस्त्रों हेतु
- ड्रोन विनिर्माण एवं परिक्षण सुविधाएं
- वायुयान/ हेलिकॉप्टर विनिर्माण/ एसेम्बलिंग इकाइयां (Assembling Units)
- सेना हेतु ऑटो से संबंधित उपकरण/पुर्जे तथा ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग
- पुलिस आधुनिकीकरण
- इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ ITeS) केन्द्र- आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोण्डा आदि में।
- इंजीनियरिंग केन्द्र-अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।
- चमड़ा, वस्त्र विनिर्माण केन्द्र-कानपुर एवं आगरा में रक्षा क्षेत्र हेतु टेकनिकल वस्त्रों का विकास।

3. नीति के सम्बन्ध में

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा के सन्दर्भ में इस नीति का ध्येय राज्य में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है। यह नीति राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के दृष्टिबिषय (Vision) तथा उद्देश्यों को क्षेत्र-केन्द्रित रूप से आगे बढ़ाते हुए

राज्य की नागरिक उड्डयन नीति-2017 तथा उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 का अनुपूरण करती है। आकर्षक प्रोत्साहनों से सुसज्जित, यह नीति आगामी पाँच वर्षों में राज्य में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करती है।

3.1 नीति के उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्यके रूप में स्थापित करना।
2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।
3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।
4. डिफेन्स कॉरीडोर के समानान्तर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टर्स की स्थापना को प्रोत्साहन।
5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।
6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना।
7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अनुषांगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।
8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।
9. आगामी 5 वर्षों में डिफेन्स कॉरीडोर में कम से कम 2 विश्वस्तरीय परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास (R & D) सुविधाओं का विकास करना।
10. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।

3.2 लक्ष्य

1. आगामी 5 वर्षों की अवधि में रु. 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में 2.5 लाख रोजगारों का सृजन करना।

3.3 परिभाषाएं

1. **रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पाद:** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/ अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा।
2. **रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य-श्रृंखला (Value chain) में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त

आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डररक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां इस नीति के अधीनरक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी।

3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers - OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा रु. 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया हो।

कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/ आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल-एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul - MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में के न्यूनतम रु. 50 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो।

नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे।

4. **एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers - OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में निवेश किया गया हो-

निवेश क्षेत्र	पात्रता का मानदण्ड
बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र	रु.200 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद को छोड़कर)	रु.300 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद	रु.400 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 2000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन

कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/ आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल-एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul - MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में के न्यूनतम रु. 30 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हों।

‘अथवा’

एक आपूर्तिकर्ता एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई अथवा अन्य एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

5. वेण्डर (Vendor) रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां: ऐसी इकाइयां, जो उसी क्लस्टर में स्थित हों जिसमें एंकर यूनिट कार्यरत हो एवं अपने अन्तिम उत्पाद का न्यूनतम 40 प्रतिशत एंकर इकाई को आपूर्ति करती हों।

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) इकाइयां: भारत सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय-समय पर एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी।

एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य-श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

7. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयां (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB): रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।

4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

इन पार्कों में निम्नलिखित सुविधाएं होगी:

1. विनिर्माण क्षेत्र (कम्पोनेण्ट्स, सब-कम्पोनेण्ट्स, सब-एसेम्बलीज़, एयरोस्पेस पार्ट्स) एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.जेड.)
2. परीक्षण केन्द्र
3. हार्डवेयर/एम्बेडेड प्रौद्योगिकी केन्द्र
4. प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र
5. हाउसिंग एवं कॉमन सुविधा केन्द्र

इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को निजी औद्योगिक पार्कों के समान सुविधाएं प्रदान करेगी। (सन्दर्भ: उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुच्छेद 3.2.3)

5. डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

- 5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत की जाएगी।
- 5.2 इस नीति में परिभाषित एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को डिफेन्स कॉरीडोर में भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य में से जो भी कम हो, की लागत के 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति।

6. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

6.1 परिवहन प्रभार पर छूट-

- 6.1.1 प्लाण्ट व मशीनरी के परिवहन पर-आयातित उपकरणों एवं प्लाण्ट व मशीनरी को लॉजिस्टिक पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब तथा हार्बर/पोर्ट से प्रदेश में स्थित उत्पादन स्थल पर ले जाने हेतु एंकररक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों परिवहन लागत के 50 प्रतिशत परिवहन उपादान की पात्र होंगी, जिसकी समेकित अधिकतम सीमा रु. 2 करोड़ होगी।

यह उपादान रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों द्वारा उपकरणों के परिवहन पर उन परियोजनाओं हेतु लागू होगा, जिनके अनुबन्ध का मूल्य रु.50 करोड़ अथवा उससे अधिक हो, यह उपादान प्रथम वर्ष के उत्पादन के प्रारम्भ की तिथि तक ही प्रदान किया जाएगा।

- 6.1.2 तैयार उत्पादों के परिवहन पर-तैयार उत्पाद को प्रदेश में स्थित इकाई से लॉजिस्टिक पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब, हार्बर/पोर्ट तक ले जाने हेतु एंकररक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तिथिसे 5 वर्ष की अवधि तक परिवहन लागत के 30 प्रतिशत परिवहन उपादान की पात्र होंगी, जिसकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रु.1 करोड़ होगी।

- 6.2 उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant-ETP)की स्थापना हेतु उपादान-एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों द्वारा स्थापित की गए उत्प्रवाह उपचार संयंत्र की लागत की 20 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रु.1 करोड़ की अधिकतम सीमा तक की जायेगी।

- 6.3 प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण (Tech Transfer) उपादान-एंकर इकाइयों को एक ही क्लस्टर में स्थित प्रत्येक वेण्डर इकाई हेतु अधिकतम रु.50 लाख की सीमा तक प्रथम 5 विक्रेताओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति तथा तत्पश्चात् अगले 5 वेण्डर्स को 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

7. अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण सुविधा हेतु सहायता

7.1 डिफेन्स कॉरिडोर के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अथवा परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु- रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा इस प्रकार की सुविधा की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी प्रति इकाई अधिकतम सीमा रु.2 करोड़ होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि-

- रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/सिविल एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा मेटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल-एम.आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 5 करोड़ का प्रत्यक्ष आपूर्ति आदेश होना चाहिए।

‘अथवा’

- रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा एक ऐसे निर्माता को सेवाएं प्रदान की जा रही हों, जिसके पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/नागरिक एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा एम.आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 50 करोड़ का आपूर्ति आदेश हो।

नोट- इकाई द्वारा संचालन प्रारम्भ होने के 2 वर्ष के भीतर समस्त मानदण्ड पूर्ण कर लिए जाने चाहिए।

7.2 सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों(Defence PSUs)/ ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) में सार्वजनिक परीक्षण (Common Testing) तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु-रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों में सार्वजनिक परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु भुगतान किए गए प्रभार/ शुल्क के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम रु. 5 लाख तक की जाएगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये होगी।

7.3 नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन: उत्तर प्रदेश सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यू.पी. स्टार्ट-अप नीति 2017 के अन्तर्गत बनाए गए स्टार्ट अप फंड का उपयोग करेगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार आईआईटी-कानपुर, बीएचयू-आईआईटी इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के साथ सहभागिता भी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के आईडीईएक्स (iDEX) एवं अन्य ऐसी पहलों के साथ अपने अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार प्रयासों को संरेखित करेगी।

8. बाजार का विकास(Building Market)

इस नीति के अन्तर्गत पात्र एम.एस.एम.ई. इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभागिता लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला होगी। यह सुविधा अधिकतम 10 एम.एस.एम.ई. इकाइयों को दी जायेगी। एक इकाई को यह प्रोत्साहन वर्ष में एक ही बार प्रदान किया जायेगा।

9. क्षमता विकास(Capacity Building)

- 9.1 **विद्यमान कौशल प्रशिक्षण आधार का सुदृढीकरण**-जहाँ व्यवहारिक होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय आई.टी.आई. तथा पॉलीटेक्निक्स से विचार-विमर्श के उपरान्त रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित पाठ्यक्रम (Customised courses) प्रारम्भ करवाए जाएंगे।
- 9.2 **शैक्षिक समझौते (Academic Tie-up)**-उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास संस्कृति को बढ़ाने हेतु रक्षा तथा एयरोस्पेस प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों (भारत और विदेशों में) को राज्य के विश्वविद्यालयों से शैक्षिक समझौते करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
10. **पेटेंट लागत/ गुणवत्ता प्रमाणन(Patent Cost/ Quality Certification)**
उत्तर प्रदेश सरकार पेटेंट पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गये व्ययों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- 10.1 **पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति**-प्रदेश में स्थापित रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को घरेलू पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट शुल्क के 100 प्रतिशत तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट शुल्क के 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई रु. 25 लाख तक होगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ होगी। यह प्रतिपूर्ति केवल पेटेंट प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी।
- 10.2 **गुणवत्ता प्रमाणन**- उत्तर प्रदेश सरकार गुणवत्ता प्रमाणन यथा ए.एस. 9100 सीरीज़, एन.ए.डी.सी.पी. प्राप्त करने हेतु इस नीति में परिभाषित एम.एस.एम.ई. इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणन शुल्क का 100 प्रतिशत, प्रति इकाई अधिकतम रु.1 लाख प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जायेगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु.20लाख प्रति वर्ष होगी।
- 10.3 **ट्रेडमार्क पंजीकरण**- समस्त पात्र रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण इकाइयों को ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन शुल्क की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जायेगी, प्रति इकाई अधिकतम रु.1 लाख प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जायेगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु.10लाख प्रति वर्ष होगी।
11. **व्यवसाय में सहजता (Ease of Doing Business)**
राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 की परिकल्पना एवं लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए यह नीति प्रदेश में व्यापार की सुगमता को भी सुनिश्चित करती है।
- 11.1 **सिंगल विण्डो**- राज्य सरकार द्वारा रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण विनिर्माण इकाइयों को सभी वांछित अनुमोदन एवं स्वीकृतियां, मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

- 11.2 **प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान-** इस नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति व छूट आदि के रूप में दिये जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों का भुगतान एक स्वीकृति-पत्र एवं एक लेखाशीर्षक के माध्यम से नोडल एजेन्सी द्वारा किये जायेंगे।
- 11.3 **प्रक्रियाओं का सरलीकरण-** इस नीति का उद्देश्य विद्यमान नियामक व्यवस्था तथा सरलीकृत प्रक्रियाओं को स्व-प्रमाणीकरण, मानित अनुमोदन(Deemed Approval) एवं तृतीयपक्ष के प्रमाणीकरण के माध्यम से युक्तिसंगत बनाना है।
- 11.4 **श्रम अनुमतियां-** उत्तर प्रदेश सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योगको संबंधित कानूनों के आधीनलचीली रोजगार शर्तें, काम के घण्टे एवं महिलाओं हेतु 3-पाली (शिफ्ट) तथा संविदीय आधार पर श्रमिकों की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान करेगी।
- 11.5 **गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति-** उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में प्राविधानों के अनुसार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योग को 24/7 विश्वसनीय, गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।
- 11.6 **औद्योगिक सुरक्षा-** उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सुरक्षित एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करेगी। इस हेतु विशिष्ट अधिकारी के आधीन औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल की तैनाती की जायेगी तथा एकीकृत पुलिस-सह-अग्निशमन केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे।
12. **नीति का क्रियान्वयन**
- 12.1 यह नीति, अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जायेगी तथा 05 वर्ष की अवधि हेतु लागू रहेगी।
- 12.2 यदि किसी दशा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें नीति में किसी भी संशोधन या अतिक्रमण की आवश्यकता होती है तो केवल मा. मंत्रि परिषद इस प्रकार के संशोधन/अतिक्रमण के अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी।
- 12.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी।

नोट

1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों/ ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा-कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु रियायती दर पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।
2. इस नीति में उल्लेखित उपदानों के अतिरिक्त मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

3. इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित समस्त पात्र रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि के रूप में प्रदान किए जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा निम्न श्रेणियों में प्रदान की जाएगी, जिनकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा कुल स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत अधिकतम 10 वर्षों हेतु होगी -
- पूर्वान्चल एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्र में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत,
 - मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद छोड़कर) क्षेत्र में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 90 प्रतिशत
 - गौतमबुद्ध एवं गाजियाबाद जनपदों में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत
4. समस्त प्रोत्साहन नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली परियोजनाओं को भी अनुमन्य होंगे, जो कि नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों की भांति निवेश मानदण्डों को पूर्ण करती हों।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत जिन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को पात्र पाया जाता है, केवल उन्हीं इकाइयों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
6. किसी भी अन्य नीति अथवा राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।
7. "विस्तारीकरण/विविधीकरण का तात्पर्य है जहाँ वर्तमान औद्योगिक उपक्रम नये पूंजी निवेश द्वारा अपने ग्रॉस ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।"

D.